कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) पत्थलगांव,
जिला–जशपुर (छ0ग0)

– सूचना – दिनांक 05.09.2025

ईद–ए–मिलाद (मिलाद–उन–नबी) का सामान्य अवकाश घोषित होने के कारण दिनांक 05.09.2025 दिन शुक्रवार को नीयत प्रकरणों की सुनवाई आगामी दिनांक 19.09.2025 दिन शुक्रवार को होगी।

आदेशानुसार
अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग)

अधिवक्ता संघ पत्थलगांव को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

//सूचना//

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अधिवक्ता संघ पत्थलगांव, जिला जशपुर छ.ग. द्वारा दिनांक 04.09.2025 का शोक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण न्यायालय अपर कलेक्टर, जशपुर छ.ग. लिंक कोर्ट पत्थलगांव में दिनांक 04.09.2025 को सुनवाई हेतु नियत प्रकरणों की आगामी सुनवाई दिनांक 25.09.2025 को होगी।

आदेशानुसार
अपर कलेक्टर, जशपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पत्थलगांव, जिला–जशपुर (छ0ग0)

ऑनलाईन नं. 202207031100027
रा.प्र.क्र. 08/अ–23/2021–22
ग्राम–पत्थलगांव, तहसील पत्थलगांव
जिला–जशपुर (छ.ग.)

1. शिव प्रसाद सिदार पिता देवसाय
2. कृष्णा सिदार आ. देवसाय
   दोनों जाति गोंड़, निवासी ग्राम पत्थलगांव,
   जिला–जशपुर (छ.ग.) ..... आवेदक मूल भूमि स्वामी आदिवासी

विरूद्ध

1. अरूण कुमार अग्रवाल आ. स्व. सत्यनारायण अग्रवाल .....अनावेदक गैर आदिवासी कब्जेदार
   जाति अग्रवाल, निवासी पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.)
2. महेश सिंह पिता घनश्याम सिंह,
   जाति गोंड़ निवासी ग्राम पत्थलगांव,
   तहसील पत्थलगांव जिला जशपुर (छ.ग.) ..... बेनामी क्रेता आदिवासी

आदेश
(पारित दिनांक 04.09.2025)
(अन्तर्गत धारा–170'ख' छ.ग.भू.रा.सहिता 1959)

आवेदक शिवप्रसाद सिदार, कृष्णा सिदार आ. देव साय, जाति गोड़, निवासी ग्राम वार्ड नं. 13 पत्थलगांव, तहसील पत्थलगांव जिला जशपुर (छ.ग.) के द्वारा पत्थलगांव स्थित भूमि ख.न. 702/1 रकबा 0.235 हे. तथा ख.न. 702/3 रकबा 0.008 हे. जो कि उसके दादा देव साय गोंड़ के नाम पर दर्ज था। देव साय गोंड़ से छलकपटपूर्वक गैर आदिवासी अरूण कुमार अग्रवाल पिता स्व. सत्यनारायण (सत्तन) अग्रवाल पत्थलगांव द्वारा बैनामा रजिस्ट्री दिनांक 12.03.2014 एवं 13.03.2014 द्वारा एक अन्य आदिवासी महेश सिदार आ. घनश्याम सिदार ग्राम पत्थलगांव के नाम पर बेनामी अंतरण कराकर स्वयं गैर अदिवासी अरूण कुमार अग्रवाल द्वारा तार का घेरा लगाकर काबिज है और हम मूल भूमिस्वामीगण के वारिसगण को हमारी उपरोक्त वादभूमि पर जाने से रोक लगाता है। यह भूमि मुख्यमार्ग 43 के किनारे स्थित है, उक्त कपटपूर्वक किये गये बेनामी अंतरण को खारिज करते हुये मुल भूमिस्वामी देवसाय गोंड़ के वारिस आवेदकगण को वापस करते हुए कब्जा दिलाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में दिनांक 25.01.2023 को आवेदक शिव प्रसाद सिदार ग्राम प्रेमनगर पत्थलगांव के द्वारा पत्थलगांव स्थित आवेदक के प्रकरण में वाद भूमि ख. नं. 702/1 रकबा 0.335 हे. एवं ख. नं. 703 रकबा 0.008 हे. भूमि पर गैर आदिवासी अरूण कुमार अग्रवाल के द्वारा महेश कुमार के नाम बेनामी सव्यहार कर निर्माण करने के कारण वाद भूमि पर किये जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर

विवेचनोपरांत चूंकि प्रकरण के वाद भूमि के पक्षकार अनावेदक अरूण कुमार अग्रवाल गैर आदिवासी एवं महेश कुमार वर्तमान भूमि स्वामी है जिसके कारण वाद भूमि पर निर्माणकर्ता के रूप में अनावेदक अरूण कुमार अग्रवाल गैर आदिवासी एवं महेश कुमार के द्वारा वाद भूमि पर किये जा रहे निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए जाने हेतु स्थगन आदेश जारी किया ।

प्रकरण में दिनांक 26.06.2023 को कलेक्टर महोदय जशपुर के रा. प्र. क्र. 202302031800012/अ–23/2022–23 में पारित आदेश दिनांक 12.06.2023 के तहत् न्यायालयीन प्रकरण में जारी स्थगन आदेश दिनांक 25.01.2023 स्थिर रखते हुये पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण निरस्त कर आदेश सहित दिनांक 23.062023 को प्राप्त।

प्रकरण में दिनांक 21.06.2024 को आवेदन अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 के आवेदन पर आदेश अनुसार आवेदक के आवेदन के मध्य भाग में सुधार करने से प्रकरण के स्वरूप पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। जिसके कारण आवेदक का आवेदन आदेश 6 नियम 17 व्य. प्र. संहिता के तहत् प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार किया जाता है। आवेदक आवेदन में उपरोक्त संशोधन करने का आदेश पारित।

प्रकरण में दिनांक 20.09.2024 को आवेदक एवं साक्षी भीम प्रसाद सिदार का साक्ष्य स्वरूप 18 नियम 4 व्य. प्र. संहिता शपथ पत्र पेश आवेदक द्वारा आदेश 07 नियम 14(3) व्य. प्र. संहिता का सूचि अनुसार दस्तावेज सहित आवेदन पेश किया गया एवं अनावेदकगण के जवाब एवं आवेदक साक्षियों के शेष साक्ष्य हेतु नियत किया गया। दिनांक 18.10.2024 को आवेदक साक्षी दीपमाला एवं महेन्द्र सिदार के द्वारा साक्ष्य स्वरूप 18 नियम 4 व्य. प्र. संहिता शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्य समाप्ति की घोषणा की गई। प्रकरण दिनांक 25.11.2024 में आवेदक के आवेदन दिनांक 20.09.2024 पर अनावेदक अधिवक्ता जवाब नहीं देने का कथन किया जिससे आवेदक का आवेदन स्वीकार किया गया। एवं अनावेदक एवं उसके साक्षियों के साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत किया गया। प्रकरण में दिनांक 13.12.2024 को अनावेदक क्र0 02 महेश के द्वारा साक्ष्य स्वरूप 18 नियम 4 व्य. प्र. संहिता शपथ पत्र पेश एवं साक्ष्य समाप्ति की घोषणा की गई।

प्रकरण में दिनांक 07.11.2022 को आवेदकगण की ओर प्रस्तुत शिकायत का अनावेदक महेश सिदार द्वारा निम्नानुसार जबाब प्रस्तुत है–

1. आवेदकगण के द्वारा न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छिपाते हुए काल्पनिक एवं असत्य कथनों को प्रस्तुत किया गया है, जो विश्वास किये जाने योग्य नही है।
2. आवेदित भूमि वादग्रस्त भूमि को अनावेदक महेश सिंह के द्वारा विधिवत प्रतिफल अदा कर पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रयशुदा भूमि सम्पत्ति है जिस पर अनावेदक का क्रय दिनांक से पूर्व कब्जा एवं कास्त है उक्त सबंध में आवेदकगण के द्वारा व्यवहार न्यायालय पत्थलगांव जिला जशपुर (छ.ग.) में एक व्य.वा. क्र. 11–ए/2014 पक्षकार प्रमसाय व 06 अन्य विरूद्ध देवसाय व अन्य प्रस्तुत किया था जिसमें मा. व्यवहार न्यायालय के द्वारा वादग्रस्त भूमि का सूक्ष्मतापूर्ण जांच साक्ष्य लिया जा कर दिनांक 28.02.2022 को अपना निर्णय घोषित किया जा चुका है जिसमें तथा उक्त निर्णय की अपील

आवेदकगण के द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश पत्थलगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे भी उक्त प्रथम अपीलय न्यायालय के द्वारा अनावेदक महेश सिंह के द्वारा क्रयसुदा भूमि एवं पंजीयन को सही माना गया है।

3. उक्त मा. व्यवहार न्यायालयों के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी प्रभव रखता है तथा आवेदकगण के द्वारा समस्त तथ्यों को जानते हुए भी अनावश्यक अनावेदक क्रं. 02 को परेशान करने के दुर्भावनावश यह झुठा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो विश्वास करने योग्य नही है। अनावेदक क्र.02 के द्वारा अपने स्वयं की पूंजी से वाद भूमि को क्रय कर कब्जा कास्त किया गया है। जो सक्षम न्यायालयों के आदेश से प्रभावित है तथा शिकायतकर्तागण/आवेदकगण का आवेदन पत्र दुर्भावनापूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रकरण में दिनांक 09.01.2023 को अनावेदक आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन पत्र का निम्नानुसार जवाब प्रस्तुत करता है :–

1. शिकायत आवेदन पत्र के पैरा 01 एवं 02 में उल्लेखित पैरा के तथ्य असत्य, निराधार एवं दर्भावनापूर्ण होने तथा क्लेशदायक एवं मानहानीकरण होने के कारण अस्वीकार है।
2. आवेदकगण के द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपने आवेदन पत्र में वादग्रस्त भूमि का खसरा एवं रकबा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
3. अनावेदक के द्वारा दवेसाय गोड की पत्थलगांव स्थित किसी भी भूमि को महेश सिदार के नाम पर न तो कभी क्रय किया गया है और न ही उसका किसी भी आदिवासी भूमि पर कभी भी कोई कब्जा रहा है।
4. आवेदकगण के द्वारा अनावेदकगण को दुर्भावनापूर्ण ढंग से प्रकरण में पक्षकार बनाकर परेशान किया जा रहा है। अनावेदक का किसी भी आदिवासी भूमि से कोई संबंध में नहीं है और न ही उसका आवेदकगण की किसी भी स्व–अर्जित अथवा पैत्रिक भूमि पर कब्जा है।
5. न्याय एवं समता के हित में उक्त दर्शित कारणों से अनावेदक का नाम प्रकरण से विलोपित किया जाना एवं आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत आवेदन असत्य पाये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध कार्यवाही किया जाना न्यायोचित होगा।

प्रकरण में दिनांक 29.11.2023 में पटवारी प्रतिवेदनानुसार ग्राम पत्थलगांव स्थित खसरा नं. 702/1 रकवा 0.235 हे. तथा ख.न. 702/3 रकबा 0.008 हे. के संबध में मौक/अभिलेख जांच सूचना उपरांत आवेदक /अनावेदक एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में जांच किया गया अभिलेख अनुसार आवेदित भूमि ख.न. 702/1 रकवा 0.235 हे. तथा ख.न. 702/3 रकबा 0.008 हे. भूमि महेश सिंह पिता धनश्याम सिंह जाति गोंड़ साकिन देह भूमि स्वामी के नाम पर दर्ज है, एवं व्यपवर्तित है। जिस पर भूमि के पश्चिम दिशा में अनावेदक महेश सिंह के द्वारा मकान निर्माण स्वरूप कॉलम खड़ा किया गया है, एवं शेष भूमि पर नर्सरी (गमला पौधा) भाड़ा में महेश सिंह के द्वारा दिया गया है। उपस्थित ग्रामवासियों के द्वारा बताया गया कि आवेदित भूमि पर

महेश सिंह का कब्जा है गैर आदिवासी अरूण अग्रवाल पिता सत्यनारायण अग्रवाल का किसी प्रकार का कब्जा नही है। आवेदक देवसाय के पुत्र शिवप्रसाद पिता देवसाय जाति गोंड़ के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। हल्का पटवारी द्वारा परिशिष्ट ई 170 ख मे प्रतिवेदित किया है कि सन 1980 में सरदार पिता चमरू जाति गोंड़ साकिन पत्थलगांव अदिवासी भूमिस्वामी के नाम पर दर्ज था वर्तमान प्रविष्ट मे महेश कुमार पिता घनश्याम सिंह जाति गोंड़ सा. पत्थलगांव के नाम पर दर्ज है।

प्रकरण में दिनांक 13.12.2024 को प्रकरण आवेदक के आवेदन आदेश 07 नियम 14(3) दिनांक 20.09.2024 पर आदेशार्थ एवं मूल आवेदन पर अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया।

प्रकरण दिनांक 14.07.2025 में आवेदकगणों की ओर से अंतिम लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार है :–

1. **यह कि आवेदकगण की जाति गोड़ है तथा आवेदकगण मूलतः आदिवासी श्रेणी के सदस्य है।**
2. **यह कि आवेदकगणों के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र श्रीमान के न्यायाल में प्रस्तुत कर आवेदकगण की कृषि भूमि को बैनामी कय विकय किए जाने तथा गैर आरक्षित अरूण कुमार अग्रवाल/अरूण वंशल के द्वारा आदिवासी व्यक्ति के नाम पर कय विकय पत्र दिनांक 12.03.2014 को निरस्त कर आवेदकगण की भूमि ख.नं. 702/1 रकबा 0.335 हे. एवं ख.नं. 703 रकब 0.008 हे. भूमि को वापस दिलाए जाने की याचना करते हुए अरूण कुमार अग्रवाल के द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निवेदन किया गया था जिस पर श्रीमान के द्वारा न्यायालय की पंजी में प्रकरण कमांक 202207031100027/08/अ-23 (धारा 165 के उल्लंघन में भूमि स्वाभी द्वारा किए गए हस्तांतरणो को रद्द करने के लिए के मद में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।**
3. **यह कि उक्त प्रकरण में आवेदकगणो के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में आवेदकगणों के द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व्यहार प्रकिया संहिता एवं सहपठित धारा 32 छ.ग. भू. राजस्व संहिता का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2022 के आवेदन पत्र पर संशोधन की मांग की गई थी जिसे श्रीमान के द्वारा विधिवत उक्त संशोधन किए जाने को स्वीकृति प्रदान की गई विशिष्ट रूप से तर्क है कि जैसा कि माननीय न्यायालय के द्वारा प्रश्नाधीन भूखण्ड को धारा 170 (ख) छ.ग. भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है। विशिष्ट रू॰ से यह भी तर्क है कि छ.ग. भू राजस्व संहिता मे बने प्रावधान के तहत धारा 170 (ख)– आदिम जनजाति के सदस्य की ऐसी भूमि का जो कपट द्वारा अंतरित की गई थी प्रतिवेदन (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अर्थात धारा 170 (ख) में प्रत्येक ऐसा व्यक्ति का आशय समान रू॰ से सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। विशिष्ट रूप से यह भी तर्क है कि जशपुर जिला पांचवी अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत है।**

और उन क्षेत्रों में भूमि क्रय विक्रय करने के पूर्व भू–राजस्व संहिता की धारा 165 (6) के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी/जिला कलेक्टर से अनुमति आवश्यक है। इस प्रकार से अनावेदक पक्ष अरूण कुमार अग्रवाल ने अपने सहयोगी महेश कुमार के नाम पर पंजीकृत विक्रय पत्र के समय कोई भी अनुमति नही लिया गया और न ही आवेदकगणों का था उनके पुर्वजों को कोई भी अन्तरण की राशि/प्रतिफल अदा नहीं की गई है। पूर्णतः बैमानी, छल, कपट का आश्रय रखते हुए अरूण कुमार अग्रवाल ने अपने सहयोगी के नाम से बेनामी सम्व्यवहार निष्पादित किया है तथा उक्त संदर्भ मे आवेदक ने दस्तावेजो के माध्यम से प्रमाणित किया है कि अरूण कुमार अग्रवाल ने दिनांक 03/11/2014 को एक पंजीकृत विक्रय पत्र में साक्षी कमांक 02 में अनावेदक महेश पिता घनश्याम को गवाह के रूप में खड़ा किया था। जिससे प्रमाणित होता है कि दोनों अनावेदकगण आपसी साठ गाठ कर भू माफिया का कार्य करते है यह प्रथम दृष्टया में ही प्रमाणित होता है। श्रीमान के समक्ष लंबित प्रकरण में अरूण कुमार अग्रवाल ने अनावेदक महेश कुमार को नही जानना व्यक्त किया है जो की पूर्णतः झुठा है। वैधानिक रूप से जिस प्रकार से अनावेदकगण जवाब दस्तावेज प्रस्तुत किया है उसे प्रथम दृष्टया में कि अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि अरूण कुमार अग्रवाल बचना चाहता है किन्तु प्रकरण से संबंधित सभी जानकारी अरूण कुमार अग्रवाल को है ऐसा प्रमाणित होता है। विशिष्ट रूप से यह भी तर्क है कि वादग्रस्त भूमि पर अरूण कुमार अग्रवाल के द्वारा तार का घेरा लगाकर वैधानिक रूप से कब्जा कर लिया है और उक्त संदर्भ में आवेदकगणों के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति रायपुर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भूमि वापस किये जाने का निवेदन भी किया गया है इस प्रकार से अरूण कुमार अग्रवाल ने किमती भूमि को अपने पाटनर महेश सिदार के नाम पर छल कपट करत हुए बैनाभी सम्व्यवहार कथित तौर पर कराया है और आवेदकगणों के बहुमुल्य भूमि पर अवैध रूप से फूल पौधे बेचने वाले एवं शेष भूमि पर तार का घेरा लगाकर अनाधिकृत कब्जा किया गया है। जिसे खाली कराया जाना न्याय के हित में है।

4. यह कि अनावेदकगण माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2023 के संदर्भ में श्रीमान कलेक्टर महोदय जशपुर के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया था जो कि रा0 प्र0 क0 202302031800012/अ–23/2022–23 में दर्ज किया गया था। जिस पर दिनांक 12/06/2023 को अनावेदकगणों का पुनरीक्षण निरस्त करते हुए किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा नहीं की गई और अनावेदकगणों के द्वारा वरिष्ट न्यायालय में कोई भी चुनौती माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश को नही दी गई फलस्वरूप अनावेदकगण के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय जशपुर के द्वारा पारित आदेश को स्वीकार कर लिया गया है।

5. यह कि आवेदकगण अपने आवेदन पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य, शपथ पत्रिय साक्ष्य प्रस्तुत किया है। उन सभी साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि भू राजस्व संहिता में बने प्रावधान एवं धारा 165 (6) के उलंघन में जनजाति व्यक्ति (आदिवासी) व्यक्ति की भूमि को बिना कलेक्टर अनुमति के सम्व्यवहार हुआ है तथा महेश सिदार/अरूण कुमार अग्रवाल के द्वारा आदिवासी जनजाति व्यक्ति के भूमि पर कब्जे में आने एवं 02 वर्ष के अन्दर विहित प्रारूप में कोई भी सूचना माननीय न्यायालय को नहीं दी गई है वैधानिक रूप में तथा विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांत में यह प्रमाणित हुआ है कि दोनों पक्ष अर्थात आदिवासी केता के लिए भी धारा 170 (ख) लागू होता है अतः आदिवासी से आदिवासी के मध्य भूमि की खरीद विकी होती है तथा कपटपूर्ण पाये जाने पर धारा 170 (ख) आकर्षित होगा उक्त संदर्भ में (भाईजी – विरूद्ध सब डिवीजनलन आफीसर थांडला एवं अन्य 2003 एल–टी–सुप्रीम कोर्ट (10) न्यायमूर्ति श्री आर. सी. लाहोरी न्यायमूर्ति बृजेश कुमार न्यायमूर्ति अरूण कुमार के द्वारा निर्णित है।)

यह कि वर्ष 1997 रा0नी0273 न्याय मूर्ति श्री आर.एस. गर्ग मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा अन्तरण को शुन्य माना है– यदि गैर आदिवासी ने अपने लाभ के लिए आदिवासी की जमीन को आदिवासी के नाम पर अन्तरण करा लिया है तो ऐसे मामलो की जांच अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कर सकता है। इसी प्रकार से 2011 भाग 2 एम पी. एच.टी.38 सी.जी. पक्षकार पार्वती बनाम मुन्ना वगैरह में छ.ग. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकार आदिवासी तब भी धारा 170 (ख) आकर्षित होगा। इस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालयो के द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांतो के आधार पर यह स्पष्ट है कि आदिवासी जनजाति व्यक्ति की भूमि के सम्व्यवहार की जांच माननीय न्यायालय कर सकते है। तथा भूमि वापस कर सकते है। तथा धारा 165 (6) के अन्तर्गत आदिवासी की भूमि के अन्तरण के पूर्व कलेक्टर से अनुमति आवश्यक है और अनावेदकगणों के द्वारा कोई भी अनुमति नही ली गई है। तथा कब्जे के हस्तांतरण के संदर्भ में कोई भी सूचना विहित प्रारूप में समय अवधि के भीतर 02 वर्ष के अन्दर कोई भी सूचना अनावेदकगणों के द्वारा माननीय न्यायालय को नही दी गई है। ऐसी स्थिति में अनावेदकगणों के द्वारा कराया गया सम्व्यवहार उपरोक्त न्याय दृष्टांतो के आधार पर प्रारम्भतः अवैध एवं शुन्य है इस कारण अनावेदक कमांक 01 के नाम से कराया गया सम्व्यवहार को निरस्त किया जाना न्याय के हित में है तथा आदिवासी जनजाति मूल भूमि स्वामी के पक्ष में आदेश परित करते हुए आदिवासी आवेदकगणों को उपरोक्त वाइग्रस्त भूमि का कब्जा एवं राजस्व अभिलेख में आवेदकगणों का नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना न्याय के हति में है। आवेदकगण इस लिखित तर्क के साथ न्यायिक दृष्टांत सूची अनुसार संलग्न करता है कि तथा

माननीय न्यायालय से निवेदन करता है कि उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतो का परिशीलन, विचारण, विश्लेषण करते हुए आदेश में उल्लेखित करते हुए आदेशित किया जाना न्याय के हित में है।

अनावेदकगण की ओर से अंतिम लिखित तर्क – 1. 2011(2) M.P.H.T.38 (C.G.) छ.ग. हाईकोर्ट बिलासपुर (Honble N.K. Agrawal, J.) पार्वती V/S मुन्ना वगै0 कुल 05 में न्यायिक दृष्टांत संलग्न है।

2. 2014 (3) C.G.L.J. 289 हाईकोर्ट ऑफ छ.ग. बिलासपुर (Honble Shri Sanjay K. Agrawal, J.) मंधारी वगै0 बनाम जुगो वगै0 न्यायिक दृष्टांत कुल 07 पन्नो में संलग्न है।

3. 2014 (2) C.G.L.J. 334 हाईकोर्ट ऑफ छ.ग. बिलासपुर (Honble Shri Sanjay K. Agrawal, J.) धनाजीराम वगै0 प्रवीण कुमार वगै0 V/S न्यायिक दृष्टांत कुल 08 पन्नो में संलग्न है।

4. भाईजी बनाम सब डिवीजनल ऑफीसर, थण्डला वगै0 2003 (2) एस सी सी डी 544 उच्चतम (न्यायालय) आर0 सी0 लाहोरी, बृजेश कुमार एवं अरूण कुमार न्याय मूर्तिगण न्यायिक दृष्टांत कुल 14 पन्नो में संलग्न है।

समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि वर्तमान में वाद भूमि ख. नं. 702/1 रकबा 0.235 हे. तथा ख. नं. 702/3 रकबा 0.008 हे. भूमि पर महेश सिंह पिता घनश्याम सिंह जाति गोंड के नाम पर दर्ज है एवं वाद भूमि व्यपवर्तित है जिस पर अनावेदक क्रमांक 02 महेश का कब्जा, मकान एवं रिक्त भूमि के रूप में है जिसकी पुष्टि हल्का पटवारी ने अपने प्रतिवेदन में की है। पर्चा में भी महेश सिंह का नाम दर्ज है। वाद भूमि वर्तमान में भी क्रय विक्रय आदिवासी से आदिवासी के मध्य हुआ है । वाद भूमि पर आदिवासी भूमिस्वामी महेश सिंह काबिज है। उक्त भूमि पर गैर आदिवासी का किसी प्रकार का कब्जा नहीं पाया गया है। छ. ग. भू. रा. संहिता 1959 की धारा 170 'ख' अंतर्गत आदिम जनजाति के सदस्य की ऐसी भूमि का जो कपट द्वारा अंतरित की गई थी, प्रतिवर्तन किये जाने का प्रावधान है किन्तु प्रस्तुत वाद में आदिम जनजाति की भूमि का कपट पूर्ण अंतरण किए जाने के तथ्य प्रमाणित करने में आवेदक असफल रहा है । अतः प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत छ. ग. भू. रा. संहिता 1959 की धारा 170 (ख) विधि अनुकूल न होने से अस्वीकार की जाती है । प्रकरण नस्तीवद्ध होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 04.09.2025 को आदेश न्यायालय के सील मुहर मेरे हस्ताक्षर से पारित एवं न्यायालय में घोषित किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.)